भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3195**
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2026

**अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक उन्नति**

**†3195. डॉ. मोहम्मद जावेदः**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में, विशेषकर बिहार राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक उन्नति के लिए शुरू की गई पहलों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं का लाभ लेने वालों और किए गए व्यय का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के प्रभावी शैक्षिक विकास और अल्पसंख्यक शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं और चुनौतियों की पहचान की है जिनमें पहुंच, अवसंरचना, शिक्षकों की उपलब्धता, डिजिटल विभाजन, जागरूकता और निधि के उपयोग से संबंधित मुद्दे शामिल हैं; और

(ग) इन बाधाओं को दूर करने और विशेष रूप से बिहार के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में अल्पसंख्यक छात्रों के शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

<u>**उत्तर**</u>

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**

**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) से (ग): देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों सहित समस्त नागरिकों की शैक्षिक उन्नति से संबंधित सभी पहलुओं की निगरानी करना शिक्षा मंत्रालय का अधिदेश है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष रूप से तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामत: मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति लागू करता है। हालांकि, इन छात्रवृत्ति योजनाओं को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के बाद आगे कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है।

*****